प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

(एकल पीठ : माननीय श्री टी.पी.शर्मा, न्यायाधीश.)

दांडिक अपील संख्या 585 वर्ष 2005

संतोषधारी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

27/7/2009 सूचिबुद्ध करे

सही /-टी.पी. शर्मा न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 585/2005

अपीलकर्ता (जेल में) संतोषधारी पुत्र दौलत राम सतनामी, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम गुमिया, पोस्ट हरदी बाजार, तहसील व जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

बनाम

उत्तरदाता छत्तीसगढ़ राज्य

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

(एकल पीठ : माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायधीश .)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

श्री के.ए.अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती मीरा जायसवाल, अपीलकर्ता की अधिवक्ता।

श्री अखिल मिश्रा उप शासकीय अधिकक्ता , राज्य/प्रतिवादी के लिए उप-सरकारी अधिवक्ता।

निर्णय

(27 जुलाई, 2009 को दिया गया)

अपीलार्थी, जो मृतका प्रेमा बाई का पति है, ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 1/2004 में पारित दोषसिद्धि और दंडादेश दिनांक 29.6.2005 के निर्णय की वैधता और औचित्य को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और 304-ख के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास और 3000/- रुपये के जुर्माने से ,दंडित किया गया और जुर्माने अदा न करने के दोष मैं 61 माह का कठोर कारावास और 71 वर्ष का दंडादेश दिया गया ।

2. दोषसिद्धि और दंडादेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि प्रेमा बाई की मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के संबंध में क्रूरता और यातना के संबंध में लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं है। विचारण अदालत ने

अपीलकर्ता को उपर्युक्त रूप से दोषी ठहराया और दंडित किया है और इस प्रकार एक अवैध कार्य किया है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि वर्तमान अपीलकर्ता, मृतका प्रेमा बाई का पति है, जिसका विवाह जून 2003 में अपीलकर्ता से हुआ था और 27.4.2004 को अपीलकर्ता के घर में फांसी लगाने से उसकी मृत्यु हो गई। प्रेमा बाई के विवाह के बाद, अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदार दहेज में विशेष रूप से टेलीविजन, मोटरसाइकिल और अन्य वस्तुओं की मांग करते थे और इसी मांग, यातना और क्रूरता के परिणामस्वरूप, उसने आत्महत्या कर ली।

27.4.2004 को प्रदर्श पी/6 के जरिए मर्ग सूचना दर्ज की गई और पंजीकृत मर्ग सूचना के आधार पर प्रदर्श पी/8 के जरिए मर्ग दर्ज किया गया। विवेचना अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हुए और गवाहों को बुलाने के बाद मृतक के शरीर का प्रदर्श पी/8 के जरिए मित्यु समीक्षा की गई। मृत शरीर को प्रदर्श पी/9 के जरिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टरों की टीम ने प्रदर्श पी/5 के जरिए पोस्टमार्टम किया और राय दी कि मित्यु का कारण मृत्यु से पहले फांसी लगाने के कारण दम घुटना था। पटवारी ने प्रदर्श पी/2 के जरिए घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। मृतक के सीलबंद कपड़े प्रदर्श पी/7 के जरिए जब्त किए गए। घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी/10 के जरिए तैयार किया गया। एफ.आई.आर. प्रदर्श पी/12 के जरिए दर्ज की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता ') की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने और जांच पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटघोरा के समक्ष एक आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपपित कर दिया, जहां से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा ने विचारण के लिए इसे अंतरण पर प्राप्त किया स्थानांतरित कर दिया।

5. अभियुक्त/अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों का परिक्षण कराया । अभियुक्त का बयान संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था जहां उसने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोषता और झूठे आरोप लगाने का अभिवाक लिया । अपीलकर्ता ने खुद को बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया है और बचाव किया है कि प्रेमा बाई का

विवाह उससे वर्ष 2003 में हुआ था और उस समय दहेज की कोई मांग नहीं थी। अपनी विवाह के बाद प्रेमा बाई का अपीलकर्ता के साथ व्यवहार असामान्य था। कभी-कभी वह उसकी गर्दन दबाती थी और कान काट लेती थी। वह अभियुक्त/अपीलकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करती थी। उन्होंने यह भी कहा है कि शादी के बाद सुहागरात भी नहीं हुआ था । उन्होंने अपने स्तर पर सर्वसरेस्ट प्रयास किया है लेकिन वे मृतिक के साथ शारीरिक सबंद बनाए रखने में सफल नई हुआ संबंध बनाए रखने में सफल नहीं हुए। उन्होंने मामला दर्ज कराया है। मृतका के खिलाफ 3.10.2003 को रिपोर्ट (प्रदर्श .डी/2) पेश की गई और बचाव पक्ष के गवाहों के रूप में दौलतराम धारी (ब स -2), श्रीमती रामकुंवर बाई (ब. सा -3), कु. उमा (ब स -4), भरत रात्रे (ब सा -5) और मिलन रात्रे (ब सा -6), ए. तिर्की (ब. सा -7) और अवध राम (ब . सा -8) की भी जांच की गई। बचाव पक्ष के गवाहों ने यह भी गवाही दी है कि अभियुक्तों ने मृतका प्रेमा बाई पर कोई क्रूरता या अत्याचार नहीं किया था। मृतका प्रेमा बाई अपने विवाह के बाद वर्तमान अपीलकर्ता के साथ रह रही थी। उन्होंने दहेज की किसी भी मांग से इनकार किया है। ए. तिर्की (ब. सा -7) ने प्रदर्श .डी/2 साबित कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात अपीलार्थी को उपर्युक्तानुसार दोषी ठहराया और दण्डित किया।

7. मैंने अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री के.ए.अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती मीरा जायसवाल अधिवक्ता और राज्य/प्रतिवादी के उप शासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा को सुना है और विचारण अदालत के फैसले और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि अपीलकर्ता का विवाह मृतका प्रेमा बाई के साथ हुआ था लेकिन प्रेमा बाई का व्यवहार सामान्य और सौहार्दपूर्ण नहीं था। वह अपीलकर्ता को पसंद नहीं करती थी और उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। कभी-कभी वह उसकी गर्दन दबाने की कोशिश करती थी। कभी-कभी वह उसके कान काट लेती थी और यहां तक कि उसने वैवाहिक संबंध बनाए रखने से भी इनकार कर दिया था। वर्तमान अपीलकर्ता ने कभी भी मोटरसाइकिल, टेलीविजन और अन्य वस्तुओं की मांग नहीं की और प्रेमा बाई की मृत्यु के बाद उसे वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा झूठा फंसाया गया है। वर्तमान अपीलकर्ता ने मृतका के खिलाफ उसके दुर्व्यवहार से संबंधित 3.10.2003 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि कथित घटना की तिथि पर अपीलकर्ता किशोर था और 18 वर्ष से

कम आयु का था लेकिन विचारण अदालत ने अपीलकर्ता के दावे पर अविश्वास किया है। सत्र न्यायाधीश द्वारा किशोर को दोषसिद्धि स्पष्टतः उचित है तथा किसी भी विश्वसनीय एवं निर्णायक साक्ष्य के अभाव में अपीलकर्ता की दोषसिद्धि एवं naMkns'k fof/k के तहत fLFkj j[ks tkus योग्य नहीं है।

9. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विवादित निर्णय का समर्थन किया।

10. पक्षों के तर्कों को समझने के लिए, मैंने अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का परीक्षण किया है। जहाँ तक अपीलकर्ता की आयु का प्रश्न है, वर्तमान अपराध 27.4.2004 को हुआ था और अपीलकर्ता की आयु, उसकी जन्मतिथि के संबंध में विवेचना अदालत द्वारा की गई जाँच के अनुसार, 15.3.85 को दर्ज किया गया था और घटना के समय उसकी आयु लगभग 18 वर्ष से अधिक थी। अपीलकर्ता द्वारा इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई और यह अंतिम निर्णय पर पहुँच गया।

11. अपीलार्थी का विवाह मृतका प्रेमा बाई के साथ वर्ष 2003 में हुआ था और विवाह के 7 वर्ष के भीतर ही 27.4.2004 को असामान्य परिस्थितियों में अपीलार्थी के घर में फांसी लगाने से उसकी मृत्यु हो गई, यह विवादित नहीं है, अन्यथा श्रीमती हरिहर बाई (ब .सा -1), कु. मंजुलता (ब .सा -2), जी.एस. भास्कर (ब .सा -3), मलिक राम टंडन (ब .सा -4), मर्ग सूचना (प्रदर्श .पी/6 और 8), एफ.आई.आर. (प्रदर्श .पी/12), जांच रिपोर्ट (प्रदर्श .पी/4), डॉ. आर.के. दिव्या (अ .सा -13) का बयान और शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श .पी/5) के बयान से स्थापित होता है। 27.4.2004 को मृतका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और फांसी लगाने के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण दम घुटना था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. वर्तमान अपीलकर्ता ने मृतका के दुर्व्यवहार और पागलपन का विशिष्ट बचाव fy;k है और लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श .डी/2) दर्ज कराई है, जिसे बचाव पक्ष के गवाह ए. तिर्की (ब .सा -7) ने स्वीकार किया है कि उन्हें 3.10.2003 को लिखित रिपोर्ट मिली थी और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपीलकर्ता को अपनी पत्नी के इलाज के लिए निर्देश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसी रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदर्श.डी/2 लिखित रिपोर्ट है। लेकिन, यह आश्चर्य की बात है कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यहां तक कि उन्होंने इसका रोजनामचा भी दर्ज नहीं किया है। प्रदर्श .डी/2 में अपीलकर्ता ने यह उल्लेख नहीं किया है कि मृतका ने वैवाहिक संबंध बनाए रखने से भी इनकार कर दिया था। वर्तमान अपीलकर्ता ने बचाव पक्ष के गवाह के :i esa Lo;a dk ijh{k.k djk;k

यह देखा गया है कि गर्भाशय का आकार सामान्य था और मृतका के गुप्तांग पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई थी, लेकिन बचाव पक्ष ने हाइमन या किसी ऐसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जिससे यह पता चले कि विवाह का उपभोग नहीं किया गया था। इससे पता चलता है कि अपीलकर्ता ने

विवाह का उपभोग नहीं किया है। रूप में अपनी जांच की है और विशेष रूप से यह बयान दिया है कि मृतका के प्रतिरोध और दुर्व्यवहार के परिणामस्वरूप, उसने मृतका के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए यह निश्चित रूप से झूठा बचाव है, हालांकि अभियोजन पक्ष बचाव की कमजोरी का सहारा नहीं ले सकता है और अभियोजन पक्ष को संदेह की सभी छाया से परे अपने मामले को साबित करने की आवश्यकता है और अपने पैरों पर खड़ा होने की आवश्यकता है।

13. मृतका की मां श्रीमती हरिहर बाई (अ .सा -1) ने बयान दिया है कि शादी के बाद से ही आरोपीगण रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल की मांग करते थे और प्रेमा बाई को प्रताड़ित करते थे और यहां तक कि वे उसकी बेटी को ठीक से खाना भी नहीं देते थे। जब वह fookg के दो दिन बाद अपने मायके वापस आई तब भी उसने अपनी मां को बताया कि उनके ससुराल वाले और रिश्तेदार उससे झगड़ा करते थे और टीवी और मोटरसाइकिल की मांग करते थे। उसने यह भी बयान दिया है कि जब वह अपनी बेटी के साथ अपीलकर्ता के घर गई तो उन्होंने भी रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल की मांग की, फिर उसने गुमिया गांव के कुछ लोगों को बुलाया जहां अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदार रहते थे और उन्हें घटना सुनाई। उसने यह भी बयान दिया है कि घटना के 20 से 25 दिन पहले वह मृतका को अपने घर ले गई थी त्यौहार के दिन वह मृतका के साथ पुनः 25.4.2004 को अपीलकर्ता के घर गई जहाँ अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदारों ने उससे झगड़ा किया और पुनः मोटरसाइकिल और रंगीन टीवी की माँग की तथा उसे धमकी दी कि यदि वह रंगीन टीवी और मोटरसाइकिल नहीं देगी तो उसे उसकी बेटी का शव देखना पड़ेगा। वह मृतका को अपीलकर्ता के घर छोड़कर अपने घर वापस आ गई। 27.4.2004 को उसे पता चला कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मृतका की बहन कु. मंजुलता (अभि.सा.-2) ने भी अपनी माँ श्रीमती हरिहर बाई (अभि.सा.-1) के कथन की पुष्टि की है। जी.एस. भास्कर (अ .सा -3), मृतक के मामा मलिक राम टंडन (अ .सा -4), मृतक के बहनोई घासीराम (अ .सा -5), मृतक के दादा फुलसाय (अ .सा-7), मृतक के दादा मनहरण सिंह (अ .सा -8) और मृतक के पिता के पड़ोसी जगमोहन (अ .सा -9) ने गवाही दी है कि अपीलकर्ता, उसके पिता, माता और अन्य रिश्तेदार मोटरसाइकिल, टेलीविजन और अन्य सामान की मांग करते थे और मृतक पर क्रूरता और अत्याचार करते थे। अपीलकर्ता ने बचाव पक्ष के गवाह के रूप में स्वयं गवाही दी है, लेकिन उसने स्वीकार किया है कि 25.4.2004 को उसकी पत्नी उसके घर पर मौजूद नहीं थी और वह अपने मायके में थी। बचाव पक्ष के अन्य गवाहों ने गवाही दी है कि घटना के समय भरत मौजूद था और भरत, जो सह-अभियुक्त दौलत राम का दामाद है, दौलत राम के घर अक्सर नहीं जाता था। उसका घटना से कोई संबंध नहीं है। अन्य गवाहों ने भी गवाही दी है कि उनकी जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने दहेज की मांग नहीं की थी, लेकिन izfrijh{k.k में पता चला कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. वर्तमान मामले में, मृतका की मृत्यु उसके विवाह के एक वर्ष के भीतर ही असामान्य परिस्थितियों में अपीलार्थी के घर में हो गई थी।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस आधार पर भी foospuk की औचित्यrk पर बहस की और हमला किया कि वर्तमान foospuk अधिकारी एमिल लकड़ा (अ .सा -20) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि उन्होंने 30.4.2004 को foospuk शुरू की और 29.4.2004 को प्रदर्श.पी/12 के तहत अपराध दर्ज किया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 29.4.2004 या 30.4.2004 को मृतक के रिश्तेदारों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और यह भी स्वीकार किया है कि वह fof/ks के अनुसार अपराध की foospuk dj jgsss थे। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि fof/ks अधिकारी ने उन गवाहों के बयान दर्ज किए जिनके निवास पुलिस चौकी से 50 से 100 किमी दूर हैं। उन्होंने अपने साक्ष्य के पैरा-4 में स्वीकार किया है कि उन्होंने पुलिस चौकी हरदी बाजार में बयान दर्ज किए हैं।

16. वस्तुत: बचाव पक्ष ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि कथित एफ.आई.आर. (.पी/12) 30.4.2004 को दर्ज की गई थी, फिर यह कैसे संभव है कि जांच अधिकारी ने 29.4.2004 को धारा 161 के अंतर्गत गवाहों के बयान दर्ज किए। वर्तमान एफ.आई.आर. (एक्स.पी/12) 29.4.2004 को जांच अधिकारी द्वारा धारा 0/2004 के अंतर्गत दर्ज की गई एफ.आई.आर. पर आधारित है और 29.4.2004 को एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए। जब सभी गवाह पुलिस चौकी हरदी बाजार में उपस्थित थे, तो जांच अधिकारी ने कोई अवैधता या कानून या नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। जांच अधिकारी का दायित्व था कि वह उसी दिन गवाहों के बयान दर्ज करता, जो उसने किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. वर्तमान मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 304-[k के आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को पुष्पा बाई की मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग साबित करनी होगी। पुष्पा बाई की मृत्यु 27.4.2004 को वर्तमान अपीलकर्ता, जो मृतका का पति है, के घर में फांसी लगाने से हुई थी। मृतका की मां श्रीमती हरिहर बाई (पीडब्लू-1) ने अपने साक्ष्य के पैरा-6 में स्पष्ट रूप से कहा है कि दो दिन पहले ही मृतका अपीलकर्ता के घर वापस आई थी, जहां उन्होंने दहेज की मांग के संबंध में मृतका और

उसकी मां को धमकाया और उसने दो दिनों के भीतर mldsआत्महत्या कर ली।

18. मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग साबित करने के लिए, दहेज की मांग और मृतका की कथित आत्महत्या के बीच संबंध होना आवश्यक है। प्रेम कुंवर बनाम राजस्थान राज्य मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113- [k के तहत दहेज मृत्यु की धारणा बनाने के लिए, दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच निकटता और जीवंत संबंध होना आवश्यक है। उक्त निर्णय का पैरा 12 इस प्रकार है:-

> 12. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-[k और आईपीसी की धारा 304-बी का संयुक्त अध्ययन यह दर्शाता है कि यह दर्शाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि पीड़िता की मृत्यु से कुछ समय पहले उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। अभियोजन पक्ष को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को खारिज करना होगा ताकि इसे 'सामान्य परिस्थितियों से भिन्न होने वाली मृत्यु' के दायरे में लाया जा सके। 'कुछ समय पहले' शब्द वहाँ अत्यंत प्रासंगिक है जहाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और आईपीसी की धारा 304-बी लागू होती हैं। अभियोजन पक्ष यह दर्शाने के लिए बाध्य है कि घटना से कुछ समय पहले क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था और केवल उसी स्थिति में उपधारणा लागू होती है। इस संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 'कुछ समय पहले' एक सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और घटना से कुछ समय पहले की अवधि के लिए कोई निश्चित सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कोई निश्चित अवधि बताना खतरनाक होगा, और इससे दहेज मृत्यु के अपराध के प्रमाण के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनुमान लगाने के लिए भी एक निकटता परीक्षण। भारतीय दंड संहिता की मूल धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी में प्रयुक्त 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' शब्द निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है। कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है और 'उसकी मृत्यु से ठीक पहले' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, दृष्टांत (क) में प्रयुक्त 'शीघ्र पूर्व' पद का संदर्भ प्रासंगिक है। इसमें प्रावधान है कि न्यायालय यह मान सकता है कि चोरी के 'शीघ्र पश्चात' माल पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तो चोर है या उसने माल को चोरी का जानते हुए प्राप्त किया है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके। उस अवधि का निर्धारण जो

'शीघ्र पूर्व' शब्द के अंतर्गत प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालयों द्वारा निर्धारित किया जाना बाकी है। हालाँकि, यह दर्शाना पर्याप्त है कि 'शीघ्र पूर्व' अभिव्यक्ति का सामान्यतः यह अर्थ होगा कि संबंधित क्रूरता या उत्पीड़न और विचाराधीन मृत्यु के बीच का अंतराल बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच एक निकट और जीवंत संबंध अवश्य होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय के लिहाज से दूर की है और इतनी पुरानी हो गई है कि संबंधित महिला का मानसिक संतुलन न बिगड़े, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा।

19. वर्तमान मामले में, तत्काल दर्ज की गई प्राथमिकी (प्रत्यक्ष प्रति/12) द्वारा समर्थित गवाहों के बयान यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त ने मृतका की मृत्यु से ठीक दो दिन पहले मोटरसाइकिल की मांग की थी और उस पर क्रूरता और अत्याचार किया था। इस क्रूरता और अत्याचार के परिणामस्वरूप, मृतका के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था और मृतका ने आत्महत्या कर ली। अत्याचार और क्रूरता का कथित कृत्य धारा 498-ए के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से दंडनीय अपराध है। - भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात, विद्वान निम्न न्यायालय ने अन्य सह-अभियुक्तों को इस आधार पर बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उनके विरुद्ध दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त नहीं थे और वर्तमान अपीलकर्ता को उपर्युक्तानुसार दोषी ठहराया और दण्डित किया है। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दण्ड, कानून के अंतर्गत विश्वसनीय और पुष्ट करने योग्य साक्ष्यों पर आधारित है। क्रूरता के परिणामस्वरूप, एक युवती अर्थात् पत्नी ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। निम्न न्यायालय द्वारा दी गई दण्डादेश न तो अत्यधिक है और न ही अन्यायपूर्ण। मुझे आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं दिखती।

21. उपरोक्त कारणों से अपील में कोई दम नहीं है, यह खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

एसडी/-

टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्ष कारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालय एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By .....तेजस्विता नंदिनी शाह .....